न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चिरंजीलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/21	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 850/90 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 851/90 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम संवासा पटवार हल्का संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 में स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त आराजीयात खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी चिरंजीलाल का नाम सहबन से मीठालाल पुत्र गोपाल दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार कार्ड, भारतीय विशिष्ठ पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड) भामाशाह कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम चिंरजीलाल पुत्र गोपाल माली निवासी ग्राम संवासा अंकित है। जो बिलकुलं सही एवं सत्य हैं जो बिल्कुल सही है। आम बोलचाल में प्रार्थी को मीठालाल कहकर बुलाते है मीठालाल एवं चिरंजीलाल एक ही व्यक्ति है। जो गोपाल की संतान है तथा अन्य सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम चिंरजीलाल ही दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहबन से मीठालाल दर्ज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होनापड़ रहा है। इसलिए यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी आया है। आराजी खसरा नं0 850/90 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 851/90 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम संवासा पटवार हल्का संवासा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में प्रार्थी का नाम मीठालाल पुत्र गोपाल को विलोपित कर उसके स्थान पर चिरंजीलाल पुत्र गोपाल किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमलेश सैनी एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 850/90 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 851/90 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाकै ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थी चिरजीलाल का नाम सहबन से मीठालाल पुत्र गोपाल राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी को चिरजीलाल व मीठालाल दोनो की नाम से जाना जाता है के कारण शुद्व किये जाने योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पिता गोपाल की मृत्यु होने के उपरान्त जरिये विरासत नामान्तकरण किया गया है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी नामान्तकरण की अपील कर अनुतोष ले सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/1/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०